दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि) सं.4836/2013 व सि.वि. सं.10962/2013 व 10963/2013

आरक्षित: 31 अक्टूबर, 2013

निर्णय की तिथि: 19 नवंबर, 2013

असीम चौधरी ..... याचीगण

द्वारा: श्री गोविंद जी, श्री प्रशांत भूषण के लिए अधिवक्ता, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: आर-1/ भारत संघ के लिए श्री अमृत पाल सिंह, सीजीएससी, श्री सुधीर नंदराजोग, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री सुमित बब्बर, अधिवक्ता और श्री विक्रमादित्य, एफएसएसएआई के लिए अधिवक्ता

कोरमः

माननीय सुश्री न्यायाधीश गीता मित्तल
माननीय सुश्री न्यायाधीश दीपा शर्मा

न्या. गीता मित्तल

1. वर्तमान रिट याचिका में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता के मूल आवेदन को अस्वीकार करते हुए 17 जुलाई, 2013 को पारित आदेश का उल्लेख किया गया है, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित राहतों के लिए अनुरोध किया था:-

> "क) डी. ओ. पी. टी. नियमों ओ. एम. सं..2/99/91-(स्था.)(पी-II) दिनांक 5.1.1994, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, और डीओपीटी ओएम सं.6/8/2009 दिनांक 17.6.2010, मूल विज्ञापन के अनुसार आवेदक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में अपनी प्रतिनियुक्ति पूरी करने की अनुमति देने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को परमादेश करते हुए एक अनिवार्य रिट जारी करे।
>
> ख) प्रत्यर्थी सं. 1 को निर्देश दें कि 31.7.2012 के बाद से 17.12.2012 तक आवेदक की नियुक्ति की अवधि को नियमित किया जाना चाहिए और उसे ड्यूटी पर माना जाना चाहिए।
>
> (ग) निर्देश दें कि उसके सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वैधानिक कटौती और प्रेषण सहित वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान किया जा सकता है।
>
> (घ) केंद्र सरकार को निर्देश दें कि सी. ई. ओ. का पद जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए क्योंकि वे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक और वित्तीय प्रमुख हैं।

(ङ) निर्देश दें कि इस वाद के लिए आवेदक को लागत दी जानी चाहिए, जो वास्तव में एफ.एस.एस.ए.आई. के अध्यक्ष और कार्यवाहक सी.ई.ओ. की मनमानी कार्यवाही द्वारा उस पर थोपी गई है।

(च) इस वाद के कारण आवेदक को हुई अनुचित परेशानी और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा प्रदान किया जाए।"

2. याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती मुख्य रूप से एक प्रतिनियुक्तिदाता के अधिकार और उस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिनियुक्ति पर बने रहने के अधिकार का मुद्दा उठाती है जिसके लिए उसे मूल रूप से नियुक्त किया गया था।

3. कुछ आधारभूत तथ्यों पर कुछ विस्तार से ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि याचिकाकर्ता की पूरी चुनौती इस तर्क पर टिकी हुई है कि उसकी प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल नियुक्ति पत्र या उसके विस्तार में निर्दिष्ट अवधि से नियंत्रित नहीं होगा, बल्कि इसे प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी विज्ञापन में निर्धारित अधिकतम प्रतिनियुक्ति की अवधि माना जाएगा।

4. याचिकाकर्ता निस्संदेह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (जिसे आगे 'ओएनजीसी' कहा जाएगा) का एक अधिकारी है, जो इस संगठन के एक पद पर स्थायी ग्रहणाधिकार रखता है। प्रासंगिक समय पर, लेने वाला संगठन, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (जिसे आगे 'एफएसएसएआई' कहा जाएगा), खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक

वैधानिक निकाय, अपने संगठन के प्रारंभिक चरण में था। इसने अगस्त, 2010 में निदेशक (प्रशासन) के एक पद को प्रतिनियुक्ति पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया। जहां तक खंड 5 में निर्धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि का संबंध है, विज्ञापन में निर्धारित किया गया था कि *"प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष होगा"*

5. याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को प्रत्यर्थीगण का समर्थन मिला और उन्हें 22 दिसंबर, 2010 के एक पत्र द्वारा नियुक्ति की पेशकश की गई, जिसमें प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता को केवल एक वर्ष की अवधि के लिए निदेशक (प्रशासन) के पद की पेशकश की, *जिसे आगे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।*

याचिकाकर्ता ने नियुक्ति के प्रस्ताव को बिना शर्त स्वीकार कर लिया और 2 फरवरी, 2011 को बिना किसी विरोध या आपत्ति के प्रतिनियुक्ति पर संगठन में शामिल हो गए।

6. यह उल्लेखनीय है कि एक वर्ष की अवधि 1 फरवरी, 2012 को समाप्त हुई थी। तथापि, प्रत्यर्थी ने 10 फरवरी, 2012 को एक पत्र जारी कर याचिकाकर्ता की प्रतिनियुक्ति की अवधि को केवल छह महीने बढ़ाकर 31 जुलाई, 2012 कर दिया। इस स्तर पर भी याचिकाकर्ता को इस तरह के विस्तार पर कोई आपत्ति नहीं मिली।

7. याचिकाकर्ता ने हमारे समक्ष 30 जुलाई, 2012 के कार्यालय आदेश रखे हैं जिसमें प्रत्यर्थीगण ने 10 फरवरी, 2012 के पूर्व पत्राचार का उल्लेख किया

है। प्रत्यर्थीगण ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि प्रतिनियुक्ति की अपनी विस्तारित अवधि के पूरा होने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को 31 जुलाई, 2012 से एफ.एस.एस.ए.आई. के साथ अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है और अपने मूल संगठन यानी ओ.एन.जी.सी. को वापस भेज दिया गया है। याचिकाकर्ता को अपने मूल संगठन को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था।

8. प्रतिनियुक्ति की विस्तारित अवधि की समाप्ति की पूर्व संध्या पर ही याचिकाकर्ता बुद्धिमान बन गया और आपत्तियां उठाना शुरू कर दिया। पहली बार, 30 जुलाई, 2012 को, याचिकाकर्ता ने 30 जुलाई, 2012 को एक पत्र के माध्यम से आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि निदेशक (प्रशासन) के पद के लिए विज्ञापन की शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेशों का संदर्भ दिया गया था जिन्हें उनके नियुक्ति पत्र में उद्धृत किया गया है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि इसलिए प्रत्यर्थीगण के निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। प्रत्यर्थीगण ने प्रस्तुत किया है कि यहां तक कि यह आपत्ति एफ.एस.एस.ए.आई. के निदेशक (प्रशासन) को दी गई थी और संगठन में किसी भी सक्षम प्राधिकारी को कोई प्रतिनिधित्व प्रस्तुत नहीं किया गया था।

9. सुनवाई के दौरान, प्रत्यर्थी-एफएसएसएआई के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुधीर नंदराजोग ने 10 फरवरी, 2012 के पत्र की एक प्रति सौंपी है,

जिसका उल्लेख प्रत्यर्थी के 30 जुलाई, 2012 के पत्र में किया गया है। इसे रिकॉर्ड में लेने या हमारे द्वारा जांच करने पर कोई आपत्ति नहीं थी।

10. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता ने मामले में किस तरह से कार्यवाही की है। लेने वाले विभाग के निर्देशों का पालन करने के बजाय, याचिकाकर्ता ने 31 जुलाई, 2012 को एफएसएसएआई को एक आवेदन दिया, जिसमें 31 जुलाई, 2012 से दस दिन की छुट्टी देने की मांग की गई। यह उल्लेखनीय है कि इस पत्राचार में, याचिकाकर्ता ने इस कारण से छुट्टी मांगी कि वह "नई पोस्टिंग जगह पर शामिल होने की तैयारी कर रहा है"। इस अनुरोध में याचिकाकर्ता की अपनी प्रतिनियुक्ति की समाप्ति की स्वीकृति और अपने मूल विभाग के साथ अपने कर्तव्य को फिर से शुरू करने के निर्देश का पालन करने की मंशा निहित है। इसके बाद 8 अगस्त, 2012 को एक पत्राचार भी एफएसएसएआई को संबोधित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने पारिवारिक आवश्यकताओं के कारण 24 अगस्त, 2012 तक अपनी छुट्टी बढ़ाने की मांग की।

11. प्रत्यर्थीगण ने 24 अगस्त, 2012 के एक आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उन्हें 31 जुलाई, 2012 से एफ.एस.एस.ए.आई. की सेवाओं से मुक्त कर दिया गया था और उन्हें 1 अगस्त, 2012 से 24 अगस्त, 2012 तक अर्जित अवकाश दिया गया था। उन्हें एक बार फिर अपने मूल संगठन को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। ओ.एन.जी.सी. के साथ अभी भी ड्यूटी फिर

से शुरू नहीं हुई थी। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने 31 अगस्त, 2012, 29 अगस्त, 2012 और 10 सितंबर, 2012 के पत्राचार के साथ किसी न किसी कारण से छुट्टी बढ़ाने की मांग की। इन अनुरोधों पर भी अनुकूल विचार किया गया और याचिकाकर्ता को 12 सितंबर, 2012 और 27 सितंबर, 2012 के आदेश द्वारा इसके बारे में सूचित किया गया। प्रत्येक पत्राचार में, याचिकाकर्ता को अपने मूल संगठन को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था।

12. इस बीच, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता एफ.एस.एस.ए.आई. में अपनी प्रतिनियुक्ति जारी रखने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संपर्क कर रहा था। इस संबंध में, 27 नवंबर, 2012 को एफ.एस.एस.ए.आई. की ओर से मंत्रालय को संबोधित एक पत्र में याचिकाकर्ता की नियुक्ति की गई परिस्थितियों के बारे में सूचित किया गया था। प्रत्यर्थीगण ने मंत्रालय को स्पष्ट रूप से सूचित किया कि अध्यक्ष और सीईओ प्रभारी द्वारा याचिकाकर्ता को उसके *"संगठन के साथ उपयुक्तता"* को देखते हुए उसके मूल कार्यालय में वापस भेजने का एक सचेत निर्णय लिया गया था। पत्र में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के संबंध में कुछ भी प्रतिकूल नहीं आया है। यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता को केवल नियुक्त किया गया था। दो साल के विस्तार के अधीन एक वर्ष के लिए और उनके मामले की समीक्षा की गई थी और प्रतिनियुक्ति को केवल छह महीने के लिए यानी 31 जुलाई, 2012 तक बढ़ा दिया गया था।

13. मंत्रालय ने 7 दिसंबर, 2012 को एक पत्र लिखकर 25 फरवरी, 2009 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया, जिसमें प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति को समय से पहले मूल कैडर में वापस भेजने के संबंध में एक शर्त थी। यह बताया गया कि समय से पहले वापस भेजे जाने पर, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति की सेवाओं को देने वाले विभाग/मंत्रालय और संबंधित कर्मचारी को तीन महीने की अग्रिम सूचना देने के बाद मूल विभाग में वापस किया जा सकता है। मंत्रालय ने प्रत्यर्थीगण से अनुरोध किया कि वे प्रतिनियुक्ति की समय से पहले समाप्ति के कारण याचिकाकर्ता के परिवार को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रतिनियुक्ति शर्तों की समीक्षा करें और उन पर पुनर्विचार करें।

14. यह वह स्थिति है जो याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से अपनी चुनौती के समर्थन में यह तर्क देते हुए व्यक्त की गई है कि उनकी प्रतिनियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए थी और इसे समय से पहले समाप्त नहीं किया जा सकता था। निवेदन यह है कि समाप्ति के लिए 17 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन की आवश्यकता का अनुपालन आवश्यक है।

15. प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की प्रतिनियुक्ति अवधि एक वर्ष की थी जिसे छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था और प्रतिनियुक्ति की पूरी अवधि समाप्त होने के बाद उसे प्रत्यावर्तन कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान

मामला समय से पहले प्रत्यावर्तन का मामला नहीं है और इसलिए 17 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन के तहत शर्त लागू नहीं होती है।

16. एक और महत्वपूर्ण घटना, जो बीच में आई, ध्यान देने योग्य है। उपरोक्त स्थिति के बावजूद, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के मामले की समीक्षा की, जहाँ तक उसकी नियुक्ति का सवाल है। प्रतिनियुक्ति पर याचिकाकर्ता के कार्यकाल और उसके प्रत्यावर्तन के संबंध में उपरोक्त स्थिति को दोहराते हुए, प्रतिवादियों ने 18 दिसंबर, 2012 को एक आदेश जारी किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि "एफ.एस.एस.ए.आई में निदेशक स्तर पर कोई रिक्ति नहीं थी"। प्रतिवादियों ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की "पारिवारिक आवश्यकता" की पृष्ठभूमि में उनके द्वारा एक दयालु दृष्टिकोण अपनाया गया था और एफ.एस.एस.ए.आई मई, 2013 के अंत तक याचिकाकर्ता को "परामर्शदाता" के रूप में प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए तैयार था। इसके बाद प्रत्यर्थीगण ने 18 दिसंबर, 2012 के अपने पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को सलाहकार के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव दिया, जिसके महत्वपूर्ण नियम विस्तार से नोट किए जाने योग्य हैं और इस प्रकार हैं:-

> "(i) आपकी नई प्रतिनियुक्ति आपके शामिल होने की तारीख से मई, 2013 के अंत तक शुरू होगी। आप के प्रत्यावर्तन की तारीख से लेकर शामिल होने की तारीख तक की अवधि को नियमित नहीं किया जाएगा।
> (ii) आपको 31/05/2013 (ए. एन.) पर राहत दी जाएगी और प्रतिनियुक्ति का आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। आपके

> नियुक्ति आदेश में आपका राहत आदेश डब्ल्यू.ई.एफ. 31/05/2013 (ए.एन.) होगा। आपकी राहत के लिए आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।"

17. याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर परामर्शदाता के रूप में नई नियुक्ति को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया और बिना किसी विरोध के 18 दिसंबर, 2012 को फिर से कार्यभार ग्रहण कर लिया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी 20 दिसंबर, 2012 के कार्यालय आदेश में याचिकाकर्ता को 18 दिसंबर, 2012 से प्रभावी माना गया था, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 31 मई, 2013 तक होगी। यह भी निर्धारित किया गया था कि नियुक्ति कुंभ मेला संचालन में एक विशिष्ट कार्य में सहायता करने के लिए थी।

18. 21 दिसंबर, 2012 को लिखे पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता ने मांग की कि उनकी प्रतिनियुक्ति 31 जुलाई, 2012 से आगे 1 फरवरी, 2014 तक निदेशक (प्रशासक) के पद पर जारी रखी जाए, जिसके लिए उन्हें उनके मूल विभाग द्वारा कार्यमुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्हें सलाहकार के पद के लिए ओएनजीसी द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया था और उन्होंने 31 जुलाई, 2012 से आगे 17 दिसंबर, 2012 तक की अवधि के नियमितीकरण के लिए भी प्रार्थना की।

प्रत्यर्थीगण ने 24 दिसंबर, 2012 को दिए गए अपने जवाब में पहले से लिए गए रुख को दोहराया। याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया

था कि उसने 18 दिसंबर, 2012 के पत्र के अनुसार एफएसएसएआई के साथ सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला था, जिसमें उसकी नियुक्ति की शर्तें बताई गई थीं। उसे स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वह अतीत के अप्रासंगिक मुद्दों के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाएगा और यदि वह इच्छुक है, तो वह 48 घंटे के भीतर उल्लेख कर सकता है कि वह शर्तों से सहमत नहीं है, जिसके बाद एफएसएसएआई उसके संबंध में उचित कार्रवाई करेगा। याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थीगण को सूचित करना आवश्यक था कि वह उक्त पत्र में दिए गए नियमों और शर्तों से सहमत है। प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से सूचित किया कि उसे 31 जुलाई, 2012 से निदेशक (प्रशासन) के मूल पद पर जारी नहीं रखा जा रहा है, जब उसकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हो गई थी; याचिकाकर्ता की बिना छुट्टी के अनुपस्थिति की अवधि का नियमितीकरण एफएसएसएआई द्वारा नहीं किया जा सकता था और नियुक्ति की शर्तों को फिर से खोलना संभव नहीं था।

19. याचिकाकर्ता ने 27 दिसंबर, 2012 को अपने पत्र के माध्यम से 18 दिसंबर, 2012 के पत्र में निहित नियुक्ति की शर्तों को स्पष्ट और बिना शर्त स्वीकार कर लिया है। हम ध्यान देना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि उसने 20 दिसंबर, 2012 के पत्र द्वारा उसे सौंपे गए कुंभ मेला कार्यभार को स्वीकार कर लिया है।

इस स्थिति के बावजूद, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त प्रार्थनाओं की मांग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन संख्या 736/2013 दायर किया।

20. प्रत्यर्थीगण ने याचिका की स्थिरता के साथ-साथ याचिकाकर्ता के दावे का विरोध किया, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता को शुरू में स्पष्ट रूप से अधिसूचित नियमों और शर्तों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था, जिसे उन्होंने बिना शर्त स्वीकार कर लिया था। याचिकाकर्ता इस सुस्थापित सिद्धांत से बंधा हुआ था कि प्रतिनियुक्ति की अवधि के बाद प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति को पद पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के कहने पर आवेदन की स्थिरता को इस आधार पर भी चुनौती दी कि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उसे उसके आचरण के कारण प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई को चुनौती देने से रोका गया था। प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता के कहने पर आवेदन की स्थिरता को इस आधार पर भी चुनौती दी कि वह सामग्री रिकॉर्ड और तथ्यों को छिपाने का दोषी था और इसलिए उसने अधिकरण से गलत नियत से संपर्क किया था, जिससे उसे किसी भी तरह की राहत नहीं मिल पाई।

21. अधिकरण ने मुद्दों पर विस्तृत विचार किया और दिनांकित 17 जुलाई, 2013 को अपने निर्णय में सभी मुद्दों पर प्रत्यर्थीगण से सहमत होते हुए

याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इसको चुनौती दी गई।

22. हमारे समक्ष याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उन्हीं आधारों पर चुनौती दी है, जिन पर अधिकरण के समक्ष दबाव डाला गया था। याचिकाकर्ता ने सबसे पहले यह तर्क दिया है कि उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं हो सकती थी और इससे कम अवधि के लिए नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (इसके बाद डीओपीटी) द्वारा 5 जनवरी, 1994 को जारी कार्यालय ज्ञापन और विज्ञापन में निर्धारित अवधि के विपरीत है।

23. हमने ऊपर उल्लेख किया है कि तत्काल मामले में विज्ञापन में कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति की अवधि आम तौर पर तीन साल होगी।

24. जहाँ तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 5 जनवरी, 1994 के कार्यालय ज्ञापन का सवाल है, उसके खंड 8 में केवल यह निर्धारित किया गया है कि प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि सभी मामलों में "अधिकतम तीन वर्ष के अधीन" होगी, सिवाय उन पदों के जहाँ भर्ती नियमों में कार्यकाल की लंबी अवधि निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता ने ज्ञापन के खंड 9 पर भरोसा किया है जो प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति को समय से पहले उसके मूल कैडर में वापस भेजने से संबंधित है।

25. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता के नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि उसे प्रतिनियुक्ति के आधार पर निदेशक (प्रशासन) के रूप में नियुक्त किया गया था "शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए जिसे आगे दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है"। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नियुक्ति पत्र ही वह नियम और शर्तें प्रदान करता है जिसके तहत याचिकाकर्ता को नियुक्त किया गया था। उसने बिना किसी आपत्ति के ऐसी नियुक्ति स्वीकार कर ली। अधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि जहां तक प्रतिनियुक्ति अवधि का संबंध है, नियुक्ति पत्र ने इसे दो भागों में विभाजित किया था - प्रारंभिक अवधि एक वर्ष के लिए थी जिसे आगे दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता था। प्राधिकारियों का इरादा यह था कि इससे लेने वाले विभाग को प्रतिनियुक्तिकर्ता के आचरण की जांच करने और इस अवधि के दौरान संगठन में हुए परिवर्तनों पर विचार करने का अवसर मिलेगा। एक वर्ष की अवधि के अंत में इस स्थिति का जायजा लेने या समीक्षा करने की आवश्यकता थी। प्रारंभिक अवधि के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर ही दो साल का विस्तार अनुमेय था।

26. जहाँ तक इस तर्क का सवाल है कि नियुक्ति पत्र विज्ञापन के विपरीत था, हम पाते हैं कि विज्ञापन किसी भी मामले में यह सुझाव नहीं देता है कि प्रतिनियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए होनी चाहिए। इसमें 'सामान्य रूप से' अभिव्यक्ति का उपयोग यह दर्शाता है कि लेने वाले विभाग को तीन साल के

भीतर प्रतिनियुक्ति की अवधि निर्धारित करने का विवेकाधिकार दिया गया है। विज्ञापन में यह नहीं कहा गया है कि कार्यकाल तीन साल का होगा। दोनों अभिव्यक्तियाँ समान नहीं हैं।

27. 5 जनवरी, 1994 के ज्ञापन के खंड 8 में प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि केवल तीन वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें कोई न्यूनतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

28. तीन वर्ष से कम अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने के लिए लेने वाले विभाग के अधिकार को कोई चुनौती नहीं दी गई है। निश्चित रूप से, हमारे सामने रखे गए दस्तावेजों में इस संबंध में कोई निषेध नहीं पाया जाता है।

29. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता ने 22 दिसंबर, 2010 के नियुक्ति पत्र में निर्धारित नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति और 10 फरवरी, 2012 के पत्र द्वारा बिना किसी विरोध के छह महीने की अवधि के लिए विस्तार शामिल है। प्रत्यर्थीगण द्वारा 30 जुलाई, 2012 को याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त करने और उसे ओ.एन.जी.सी में वापस भेजने का आदेश पारित करने के बाद ही याचिकाकर्ता ने उसी तिथि को पहली बार एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

30. इसके बाद के आचरण से यह भी पता चला कि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई की विधिमान्यता और वैधता को स्वीकार कर लिया था क्योंकि उसने 18 दिसंबर, 2012 को पत्र के माध्यम से मई, 2013 के अंत तक की अवधि के लिए परामर्शदाता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर अपनी नियुक्ति स्वीकार कर ली थी। याचिकाकर्ता ने परामर्शदाता के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही अभ्यावेदन किया था। हालांकि, प्रत्यर्थीगण के 24 दिसंबर, 2012 के पत्र द्वारा दृढ़ प्रतिक्रिया के बाद, याचिकाकर्ता ने परामर्शदाता के रूप में अपनी नियुक्ति की सभी शर्तों और नियमों को स्वीकार करते हुए 27 दिसंबर, 2012 को एक पत्र भेजा। वास्तव में, याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से इस क्षमता में उसे सौंपे गए कुंभ मेला कार्य के कार्यभार को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने सभी आपत्तियों को त्याग दिया।

31. प्रत्यर्थीगण ने इस न्यायालय के समक्ष एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा ओ.एन.जी.सी को संबोधित दिनांक 29 जनवरी, 2013 का एक पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को 31 जुलाई, 2012 से उसकी प्रारंभिक नियुक्ति से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिए गए अभ्यावेदन और दिनांक 7 दिसंबर, 2012 के निर्देश के मद्देनजर, प्रत्यर्थीगण ने उसकी पारिवारिक आवश्यकता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया और उसे परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया।

32. प्रतिवादियों ने ओएनजीसी को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता को 30 सितंबर, 2012 तक छुट्टी मंजूर की गई थी और उसके बाद उसे कोई छुट्टी नहीं दी गई तथा परामर्शदाता के रूप में उसकी नियुक्ति कुंभ मेले के अंत तक एक विशिष्ट अवधि के लिए थी जो 10 मार्च, 2013 तक समाप्त हो जाएगी और उसके बाद याचिकाकर्ता की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी और उसे 31 मार्च, 2013 से ओएनजीसी को सौंप दिया जाए।

33. याचिकाकर्ता ने 1 फरवरी, 2013 को एक अभ्यावेदन भेजा है, जिसमें कहा गया है कि उनकी प्रतिनियुक्ति 1 फरवरी, 2014 को पूरी होनी थी और प्रतिवादियों को उनके द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करने की आवश्यकता है, जो डीओपीटी के आदेशों का फिर से उल्लंघन कर रहे हैं।

34. अपनी प्रतिक्रिया में, प्रत्यर्थीगण ने अपने उपरोक्त रुख को दोहराया।

35. हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता की दोनों नियुक्तियों का कार्यकाल स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थीगण द्वारा निर्धारित किया गया था और उनका यह तर्क कि प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन साल की अवधि के लिए होनी चाहिए, पूरी तरह से कानूनी गुणों से रहित है।

36. श्री नंदराजोग, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सही कहा है कि प्रतिनियुक्ति कर्मचारी, लेने वाले और देने वाले विभागों के बीच एक त्रिपक्षीय

समझौता है। यह तब समाप्त हो जाएगा जब तीनों में से कोई भी इसे जारी रखने की इच्छा नहीं रखता।

37. याचिकाकर्ता ने बिना किसी आपत्ति के नियुक्ति के प्रस्तावों में शर्तों को स्वीकार कर लिया। निश्चित रूप से, उन्हें इसके बाद आपत्ति करने या केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष चुनौती देने से रोक दिया गया है।

38. वैसे भी, याचिकाकर्ता को केवल उसके मूल विभाग में वापस भेजा गया है। याचिकाकर्ता का यह मामला नहीं है कि इसके परिणामस्वरूप उसे दंडात्मक परिणाम भुगतने पड़े।

39. याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***(2005) 8 एससीसी 394 यूनियन ऑफ इंडिया के माध्यम से पांडिचेरी सरकार एवं अन्य बनाम वी. रामकृष्णन एवं अन्य*** में दिए गए फैसले के पैरा 32 पर भरोसा किया है, जो इस प्रकार है:

> "32. सामान्यतः, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति को पद पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति को निर्विवाद रूप से उस पद पर समाहित होने का कोई अधिकार नहीं होता, जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया जाता है। हालांकि, इस पर भी कोई रोक नहीं है। यह सच हो सकता है कि जब प्रतिनियुक्ति के परिणामस्वरूप उस सेवा में समाहित नहीं होता, जिसमें किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो उसके वास्तविक महत्व और महत्व में कोई भर्ती नहीं होती, क्योंकि वह मूल सेवा का

> सदस्य बना रहता है। जब प्रतिनियुक्ति की अवधि निर्दिष्ट की जाती है, तो प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति के पास उक्त पद पर बने रहने का अविभाज्य अधिकार न होने के बावजूद, सामान्यतः प्रतिनियुक्ति की अवधि को ऐसे उचित आधारों पर ही कम किया जाना चाहिए, जैसे कि अनुपयुक्तता या असंतोषजनक प्रदर्शन। लेकिन, जहां अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है, वहां भी वापसी के आदेश पर सवाल उठाया जा सकता है, जब वह दुर्भावनापूर्ण हो। जल्दबाजी में की गई कार्रवाई भी दुर्भावना को दर्शाती है। (बहादुरसिंह लखुभाई गोहिल बनाम जगदीशभाई एम. कमलिया एससीसी पैरा 25 देखें)।"

40. यह न्यायिक पूर्व-निर्णय इस सुस्थापित कानूनी प्रस्ताव को दोहराती है कि प्रतिनियुक्त व्यक्ति को पद पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जहाँ तक प्रतिनियुक्त व्यक्ति के कार्यकाल का सवाल है, जब निर्दिष्ट किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि सामान्यतः कार्यकाल पूरा होना चाहिए। इसे अनुपयुक्तता या असंतोषजनक प्रदर्शन जैसे उचित आधारों पर कम किया जा सकता है। जब कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तो कार्यकाल के क्रम पर सवाल उठाया जा सकता है, जब वह दुर्भावनापूर्ण हो या कार्रवाई दुर्भावना से की गई हो।

41. तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता इस बात पर विवाद नहीं करता है कि उसने प्रतिनियुक्ति पर पूर्ण निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लिया है। कोई समयपूर्व समाप्ति नहीं है। अच्छी तरह से स्थापित कानूनी सिद्धांत याचिकाकर्ता की चुनौती को नकारते हैं।

42. ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकरण के समक्ष पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 25 अप्रैल, 2013 को सी.डब्लू.पी. संख्या 11960/2012 ***सुमेर सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य*** में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया गया था, जिसमें न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया था:-

> "9. वर्तमान मामले के तथ्यों में, चूंकि याचिकाकर्ताओं को कभी भी कंडक्टर/ड्राइवर के पद पर वैध रूप से नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें ऐसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं मिला। याचिकाकर्ताओं को अपने मूल पदों पर वापस शामिल होने का आह्वान करने वाला निर्णय लेने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।"

43. न्यायालय ने यह भी माना था कि आरोपित आदेश से याचिकाकर्ता को कोई प्रतिकूल नागरिक परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। ***(1998) 5 एससीसी 450 पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य बनाम बलदेव सिंह*** पर भरोसा करते हुए, यह माना गया कि आदेश से पहले सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी।

44. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष दलील दी है कि अधिकरण ने यह मान कर गलती की है कि निदेशक (प्रशासन) का पद मौजूद नहीं था और लेने वाले संगठन के पास आवेदक को उसके मूल संगठन में वापस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उपरोक्त तथ्यात्मक विवरण से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने सलाहकार के रूप में नियुक्ति और उसके

निर्दिष्ट कार्यकाल को बिना शर्त स्वीकार कर लिया। भले ही निदेशकों के पद पर रिक्तियां हों, याचिकाकर्ता को उस पर दावा करने से रोका जाता है।

45. इस संबंध में न्यायाधिकरण ने उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है, जिनमें प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को वापस भेजने के निर्णय पर पुनर्विचार किया। हमारे समक्ष यह भी बताया गया है कि प्रतिवादियों ने निदेशकों को कर्तव्यों का आवंटन फिर से किया। यह बताया गया है कि जब याचिकाकर्ता को प्रतिनियुक्ति पर निदेशक (प्रशासन) के रूप में नियुक्त किया गया था, तब प्रशासन और निगरानी का कार्य दो अलग-अलग निदेशकों द्वारा देखा जा रहा था। इसके बाद, एक प्रशासनिक फेरबदल में, प्रशासन और निगरानी दोनों का कार्य निदेशक (निगरानी) को सौंप दिया गया। इस कारण से, प्रतिवादियों ने कहा कि याचिकाकर्ता 'क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है' और उन्होंने इस संबंध में मंत्रालय को भी सूचित किया था।

46. यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता की सलाहकार के रूप में अनुकंपा नियुक्ति मंत्रालय के 7 दिसंबर, 2012 के आंकड़ों के अनुसार प्रतिवादियों के साथ याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति की समीक्षा के बाद इस पृष्ठभूमि में की गई थी। सलाहकार के पद को स्वीकार करने का तात्पर्य निदेशक (प्रशासन) के रूप में उनकी नियुक्ति की समाप्ति है।

47. सलाहकार के रूप में याचिकाकर्ता का कार्यकाल भी मई, 2013 के अंत में आ गया है और उन्हें एफ.एस.एस.ए.आई. से मुक्त कर दिया गया है।

48. जहाँ तक कार्मिक और प्रशिक्षण निदेशालय को 17 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन पर निर्भरता का संबंध है, वही समय से पहले वापसी के मामले पर लागू होता है जैसा कि बताया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता का समय से पहले प्रत्यावर्तन नहीं है, इसलिए 17 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन में तत्काल मामले में कोई आवेदन नहीं है।

49. अधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी ने भौतिक तथ्यों को छिपाया है। याचिकाकर्ता अधिकरण के समक्ष पूर्ण दस्तावेजों का खुलासा न करने पर विवाद नहीं करता है।

50. इन सभी कारणों से, याचिकाकर्ता द्वारा 17 जुलाई, 2013 के आदेश को दी गई चुनौती तथ्यात्मक और कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

(गीता मित्तल)
न्यायाधीश

(दीपा शर्मा)
न्यायाधीश

19 नवंबर, 2013
एए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*